

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(28)नविवि/EoDB/2015

जयपुर, दिनांक :— 27 JAN 2021

आदेश

नगरीय विकास विभाग द्वारा यूनिक प्रोपर्टी आई.डी जनरेशन के संबंध में ऑनलाईन सर्विस तैयार कर समस्त विकास प्राधिकरणों एवं नगरीय विकास न्यासों के कार्य क्षेत्र में समस्त प्रोपर्टीज को डिजिटाईज किये जाने हेतु समय-समय पर निर्देशित किया जाता रहा है।


उक्त क्रम में पुनः निर्देशित किया जाता है कि विभाग द्वारा लागू की गई भवन मानचित्र अनुमोदन, नाम हस्तानान्तरण/म्यूटेशन इत्यादि ऑनलाईन सेवाओं में आवेदन हेतु ऐसी प्रोपर्टी का यूनिक प्रोपर्टी आई.डी होना आवश्यक है। अतः आवश्यक रूप से समस्त नगरीय क्षेत्रों में समस्त प्रोपर्टीज की यूनिक आई.डी ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से बनाया जाना अविलम्ब सुनिश्चित किया जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पुरुषोत्तम शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-तृतीय